

प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 03.12.2025

कूटरचित दस्तावेज द्वारा धोखाधड़ी करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट गोरखपुर के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव थाना रामगढ़ताल के नेतृत्व में उ0नि0 चन्दन सिंह मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0012/2023 धारा 419,420,467,468,471,406,506,120बी भा0दं0सं0 से सम्बन्धित अभियुक्त धर्मेन्द्र शर्मा पुत्र स्व0 जय नारायण शर्मा निवासी निवासी तुर्कमानपुर पटवारी टोला थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा दूसरे की जमीन को कूटरचित दस्तावेजों एवं धोखाधड़ी कर बैनामा करवाकर, जमीन को पुनः वादी मुकदमा को बेचने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

धर्मेन्द्र शर्मा पुत्र स्व0 जय नारायण शर्मा निवासी निवासी तुर्कमान पुर पटवारी टोला थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 12/2023 धारा 419,420,467,468,471,406,506,120बी भा0दं0सं0 थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 चन्दन सिंह चौकी प्रभारी चिडियाघर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अशोक शर्मा थाना रामगढ़ताल गोरखपुर
3. उ0नि0 आरती यादव थाना रामगढ़ताल गोरखपुर
4. का0 अनिल कुमार पाण्डेय थाना रामगढ़ताल गोरखपुर
5. का0 नितीश कुमार थाना रामगढ़ताल गोरखपुर